न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—285/2014/225 (2014/00052)

1. रायचन्द पुत्र सुजा, जाति गुर्जर, निवासी फतहगढ़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती ऐजन तथाकथित बेवा नारायण, जाति गुर्जर, निवासी फतहगढ़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. ग्राम पंचायत फतहगढ जरिये सरपंच ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 3.4.2007 अंतर्गत प्रकरण संख्या 8/2007.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 21.01.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 3.4.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 269—237 के खसरा नंबर 109/7 मिन रकबा 6—12—00, 130 रकबा 6 बिस्वा, 129 रकबा 4 बिस्वा, 131 रकबा 5 बिस्वा, 132 मिन रकबा 1 बीघा 133 रकबा 11—13—00, खसरा नंबर 136/3 रकबा 2—5—00, 152 रकबा 1—13—00 बीघा ग्राम फतहगढ, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर में अवस्थित है । उक्त वर्णित आराजियात आराजियात राजस्व रिकार्ड में नारायण दत्तक पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी फतहगढ़ के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। नारायण की पत्नि का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके कोई जायंदा संतान नहीं थी जिससे वह वादी के पास ही रहता था और वादी ही उसकी देखरेख एवं सेवा—चाकरी करता चला आ रहा है । नारायण के कोई संतान नहीं होने से नारायण ने अपनी तमाम चल व अचल सम्पति को जरिये वसीयतनामा दिनांक 2.6.1994 के द्वारा वादी के हक में वसीयत कर दी और वादी को उत्तराधिकारी बनाया । खातेदार नारायण

का दिनांक 5.12.2006 को स्वर्गवास हो गया है । नारायण के स्वर्गवास के उपरांत वादी वादग्रस्त आराजियात पर बतौर मालिक स्वामी काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी ने वादग्रस्त आराजियात को अपने नाम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रतिवादी के समक्ष पेश किया परन्तु वादी के नाम नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया गया । अतः वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजियात का वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर नामांतकरण नहीं किया जावे ओर न ही किसी प्रकार से वारिसान प्रमाण पत्र जारी किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 3.4.2007 द्वारा दोनों पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक पाबंद किया कि दोनों ही पक्ष मौके पर जिसका भी कब्जा काश्त है इस कब्जे काश्त में कोई भी पक्षक किसी भी पक्ष के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट जो कि नारायण का दत्तक पुत्र है एवं नारायण की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण स्वंय के नाम तस्दीक नहीं होने पर खातेदारी घोषणा हेतु राजस्व वाद पेश किया है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा स्वंय को नारायण की बेवा होना वर्णित करते हुए वादग्रस्त आराजियात का खातेदार घोषित किये जाने हेतु पृथक से राजस्व वाद प्रस्तुत किया है जिसे प्रस्तुत वाद के साथ संलग्न किया गया है । उक्त राजस्व वाद में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया एवं उक्त वादपत्र के साथ प्रस्तुत धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 15.3.2007 को प्रस्तुत किया है जिस पर उक्त दिनांक को ही अधी0न्याया0 द्वारा वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये एवं इसके बाद पेशी दिनांक 3.4.2007 के आदेश से अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाया जाकर एक मात्र मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये है जबकि पूर्वानुसार रिकार्ड की यथास्थिति नहीं रखने जाने मे त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने वादग्रस्त आराजियात के रिकार्ड की यथास्थिति को वाद के निस्तारण तक बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है किन्तु इसके विपरीत आक्षेपित आदेश से एक मात्र कब्जे की यथास्थिति के आदेश पारित किये है जो स्वंय में विरोधाभासी आदेश होने से संशोधन किये जाने योग्य है । आक्षेपित आदेश की आड़ में अप्रार्थीया द्वारा स्वंय के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है जो कि अवैधानिक होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है । विवादित आराजियात में रेस्पो0 का कोई हक व अधिकार नहीं है । विवादित आरायिजात पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने कब्जे की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विचाराधीन वाद के रहते रेस्पो0 को उक्त बाबत् राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद कर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति को कायम नहीं किया गया तो आक्षेपित आदेश की आड़ में वादग्रस्त आराजियात का बेचान कर दिया जावेगा जिससे और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.4.2007 को संशोधित कर वादग्रस्त आराजियात

के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ है। विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थीया द्वारा आक्षेपित आदेश की आड़ में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी किये जाने पर एवं उक्त आराजियात बाबत् स्वंय के नाम नामांतकरण दर्ज कराये जाने की कार्यवाही दिनांक 21.6.2014 को किये जाने पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर कानूनी राय लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है । रेस्पो0 संख्या 1 खातेदार नारायण की पत्नि होकर विधिक वारिसान है । वसीयत के आधार पर अपीलांट को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सबका निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य होगा किन्तु वर्तमान में विवादित आराजियात पर रेस्पो0 संख्या 1 काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने बाबत् उभयपक्ष को पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का नामांतकरण वादी के अलावा अन्य किसी के नाम पर किया जावे ओर न ही किसी प्रकार से अन्य किसी के नाम पर सजरा प्रमाण पत्र जारी किया जावे व ऐसा कोई कार्यवा करने से रोका जावे जिससे वादी अपने हक व अधिकार से वंचित हो जावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक15.3.2007 को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित कर ग्राम फतहगढ़ की राजस्व जमाबंदी संवत् 2058 के खाता संख्या 269 में आज जो भी इंद्राज है उस इद्रांज को मूल वाद के निर्णय तक या जो भी अग्रिम आदेश हो जब तक राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का कोई इंद्राज परिवर्तितन नहीं करने बाबत् तहसीलदार, सरवाड़ को पाबंद किया । तत्पश्चात् दिनांक 3.4.2007 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पर उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार कर श्रीमती एजन को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया । तथा आदेश पारित किये कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम फतहगढ़ तहसील सरवाड़ में स्थित है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ने दोनों वादग्रस्त भूमि की घोषणा के लिए अलग–अलग दावे किए है । इसलिये वादग्रस्त भूमि पर मौके पर जिस प्रकार से कब्जे काश्त चले आ रहे है उस कब्जे काश्त की दोनों पक्ष यथास्थिति बनाये रखने में सहमत

है । अतः दोनों ही पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि दोनों ही पक्ष मौके पर जिसका भी कब्जा काश्त है उस कब्जे काश्त में कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे । '' पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 श्रीमती एजन दोनों के ही वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचारधीन है जिसमें पक्षकारान के हक हकूक बाद साक्ष्य निर्धारित होगें किन्तु वर्तमान में यदि विवादित आराजियात का रहन, बेचान हस्तातरंण इत्यादि हो जाता है तो पक्षकारान द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अधी0न्याया0 ने पूर्व आदेश में रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये थे परन्तु बाद में दिनांक 3.4.2007 को केवल मात्र कब्जे काश्त की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है जिसे संशोधित कर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित समझते है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.4.2007 में संशोधन किया जाकर उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात के कब्जे काश्त की स्थिति के साथ विवादित आराजियात के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर